सीमेंट उद्योग द्वारा पैकिंग के लिए पटसन के बोरों का उपयोग न किया जाना

2252. **श्री बलराम सिंह यादव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अगस्त, 1990 के "दी फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "प्रोब इनटू वायलेशन बायी सीमेंट इंडस्ट्री" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि सीमेंट उद्योग द्वारा पैकिंग इत्यादि कार्यों के लिये पटसन के बोरों के इस्तेमाल किए जाने के संबंध में जारी दिशानिर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पटसन उद्योग ने इस संबंध में सरकार के पास शिकायत की है; और

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में आवश्यक कदम उठाये हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सीमेंट उद्योग उपभोक्ता प्रतिरोध और जूट को बोरियों के उच्चतर मूल्य के कारण जूट पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य इस्तेमाल) अधिनियम, 1987 के संबंध में उपबंधों के विरुद्ध अभ्यावेदन करता रहा है। किन्तु इस स्थिति की सीमेंट उद्योग के साथ सम्पर्क करके समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, कुछ इच्छुक पार्टियों ने जूट पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य इस्तेमाल अधिनियम, 1987 की वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है और यह मामला न्यायाधीन है।

Recommendations of Khadi Workers' Study Group regarding pay scale of Khadi employees

2253. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what are the recomendations made by the 'Khadi Workers' Study Group, constituted in 1986 under the Chairmanship of Shri Karnail Sinh, Joint Secretary with regard to the pay scales of the workers working in Khadi Gramodyog;

(b) whether the recommendations have been accepted; if not, what are the reasons therefor; and

(c) whether the recommendations of the Khadi Workers' Emoluments Committee submitted in 1986 have since been implemented or not?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI SRIKANTA JENA): (a) No recommendation with regard to the pay scales of the workers working in Khadi Gramodyog has been made by the 'Khadi Workers' Study Group constituted by the Ministry of Labour in 1986 under the chairmanship of Shri Karnail Singh, Joint Secretary. However, the study group with regard to the method of fixation of wages of the workers had, *inter-alia* commented that there should be a Committee at the Centre as well as at the State Level with representatives from KVIC, State KVI Institutions and artisans to look into the question of fixation of wages of the artisans in the KVI institutions.

(b) As the recommendations of the Study Group were not unanimous, Ministry of Labour have not accepted the report of the Study Group for implementation.